

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन/66174/2022-23/144

दिनांक: 17.10.2022

विज्ञप्ति

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं शासन के पत्र क्रमांक: प17(50) शिक्षा-2/2021 जयपुर दिनांक 02.09.2022 के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फ़ैकल्टी" के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पदों/योग्यताएं/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएँ-

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
I	ब्याख्याता (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
II	वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
III	अध्यापक लेवल-2 (विभिन्न विषय)	राजस्थान पंचायत राज नियम-1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
IV	अध्यापक लेवल-1	राजस्थान पंचायत राज नियम-1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
V	प्रयोगशाला सहायक	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार
VI	शारीरिक शिक्षा शिक्षक	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट:-

- गेस्ट फ़ैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
- विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
- सेवा निवृत्त शिक्षक गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परन्तु, अध्यापक लेवल-1 व अध्यापक लेवल-2 पदों के लिए सेवा निवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।
- सेवा निवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
- भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी।

(2) रिक्तियां:

- I. विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।
- II. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदों को स्पष्ट रिक्त के रूप में चिह्नित किया जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्त के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन—

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट <http://education.raajasthan.gov.in> पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया—

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवा निवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय-सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण—

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।

समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना:—

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी:—

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक	सदस्य
4.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य

57

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय-

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा (60 मिनट) मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा-

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा (60 मिनट) मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	अध्यापक लेवल-प्रथम, लेवल-द्वितीय	1 से 8	300 रु.	21000 रु.
02	वरिष्ठ अध्यापक	9 से 10	350 रु.	25000 रु.
03	प्राध्यापक	11 से 12	400 रु.	30000 रु.
04	प्रयोगशाला सहायक		300 रु.	21000 रु.
05	शारीरिक शिक्षा शिक्षक	-	300 रु.	21000 रु.

(8) अन्य शर्तें-

- I चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे।
- II निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
- III गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।
- IV गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।
- V गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) टाईम टेबल:-

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1	दिनांक 01.11.2022 तक	विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन
2	दिनांक 02.11.2022 से 04.11.2022 (विद्यालय समय में)	आवेदन की तिथि
3	दिनांक 05.11.2022	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (स्कूल)
4	दिनांक 07.11.2022	पात्रता की जाँच करना वरीयता सूची बनाना (अस्थाई) एवं जारी करना
5	दिनांक 09.11.2022	आपत्तियाँ मांगना
6	दिनांक 10.11.2022	अंतिम वरीयता सूची बनाना (स्थाई)
7	दिनांक 11.11.2022	मूल दस्तावेजों की जाँच करना

8	दिनांक 12.11.2022	आदेश जारी करना
9	दिनांक 19.11.2022	कार्यग्रहण की अंतिम तिथि


(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा तथा
निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं
पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रा./मा.), राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. स्टाफ ऑफिसर, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सहायक निदेशक, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा।
13. सहायक निदेशक, संस्थापन (एफ/सी) अनुभाग कार्यालय हाजा।
14. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
15. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्रधानाचार्य.....
16. रक्षित पत्रावली।


उपनिदेशक (महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

आवेदन का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नाम:-
2. पिता का नाम:-
3. आवेदित विद्यालय का नाम:-
4. आवेदित पद का नाम:-
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि:-
6. जन्म तिथि:-
7. शैक्षणिक योग्यता:-
 1. माध्यमिक वर्ष----- प्रतिशत----- संलग्न-1
 2. उच्च माध्यमिक वर्ष----- प्रतिशत----- संलग्न-2
 3. स्नातक वर्ष----- प्रतिशत----- संलग्न-3
 4. अधिस्नातक वर्ष----- प्रतिशत----- संलग्न-4
8. प्रशैक्षणिक योग्यता
 1. बी.एड./समकक्ष वर्ष----- प्रतिशत----- संलग्न-5
 2. डी.एल.एड./समकक्ष वर्ष----- प्रतिशत----- संलग्न-6
6. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)- रीट,उत्तीर्णता वर्ष----- प्रतिशत----- संलग्न-7
7. निवास का पता:-
 1. स्थाई-----

 - 2.वर्तमान-----

8. मोबाईल नम्बर:-----
9. जाति वर्ग-----प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न-8
10. अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्ट्स पर्सन) संलग्न-9
11. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न-10
12. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न-11 व 12

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची-संलग्नक 1 से 12 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) व शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर



प्राकृत्य

सपथ-पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
विभाग.....(संस्थान का नाम) में दिनांक.....को
गैस्ट फॅकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने.....विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....
के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित
शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम)
विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.....को
अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं
तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख
एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन-
पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास,
जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं
यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे
गैस्ट फॅकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के
empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही
मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं
करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार
अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/
करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फैक्टरी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेनेटर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैक्टरी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैक्टरी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उत्सर्जन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता